

16-10-2019

पन्नावली चेन्न इई। अधिवक्ता वादी  
उपाधित होकर बाद को नोट प्रेस कि  
है।

अतः बाद वादी अधिवक्ता वादी

द्वारा नोट प्रेस किचे जाने से श्वारिज  
किया जाता है। पन्नावली गिर्बा में  
शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा  
बाद लम्बी लकमील दारखिल दपार  
हो।



उपखण्ड अधिकारी  
खानपुर जिला इनालावाइ  
(राजस्थान)

Note  
P2088

88

